भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2742

10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

अवैध बालू खनन

2742. श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान मुख्य और गौण खनिजों विशेषकर बालू खनन के अवैध खनन संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बालू के अवैध खनन को रोकने हेतु कोई उपाय किए है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अवैध बालू खनन के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम है;

(घ) क्या सरकार ने देश में अवैध बालू खनन को रोकने हेतु कोई तंत्र विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थान-वार नोडल अधिकारियों के नाम क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा नदी तटों से बालू के अवैध खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है?

<u>उत्तर</u>

<u>खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 एवं उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी संबंधित सीमाओं के भीतर अवस्थित खनिजों के अभिरक्षक हैं। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम एवं उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। राज्य सरकारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो को दी गई सूचना के अनुसार, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध खनन के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न अनुसार है:

अवैध खनन मामले					2016-17 से 2018-19 तक की गई कार्रवाई			
क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	एफआईआर दर्ज (सं.)	न्यायालय में दर्ज मामले (संख्या)	जब्त किए गए वाहन (संख्या)	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (लाख रूपए में)
1	अंडमान एंड निकोबार	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.	n. r.
2	आंध्र प्रदेश	9703	8128	7644	30	18	648	8580.115
3	असम	n. r.	n. r.	n. r	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	4794	4857	5060	0	14711	0	2525.374
5	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
6	गुजरात	8325	7827	7679	325	21	20066	22118.33
7	हरियाणा	1345	1391	1380	517	0	0	1036.502
8	हिमाचल प्रदेश	783	1753	590	0	410	4	69.761
9	जम्मू एंड कश्मीर	n. r.	1485	n. r	0	0	1485	15.896
10	झारखंड	838	2772	3132	1900	651	7028	3683.825
11	कर्नाटक	5692	4669	4101	3070	459	2716	6868.385
12	केरल	4861	8315	7797	0	0	0	12299.32
13	मध्य प्रदेश	13880	15205	16405	479	24456	2477	135439.4
14	महाराष्ट्र	31173	26628	13436	4405	0	71237	28496.58
15	मिजोरम	n. r.	n. r.	n. r	0	0	0	0
16	ओडिशा	45	47	29	2	4	82	1750.321
17	पंजाब	n. r.	n. r.	n. r	n. r	n. r	n. r	n. r
18	राजस्थान	3945	6632	17118	2620	44	293846	16021.118
19	सिक्किम	n. r.	n. r.	n. r	0	0	0	0
20	तमिलनाडु	87	132	113	22956	45	39741	12798.062
21	तेलंगाना	5839	6143	6553	0	0	2	4757.36
22	उत्तर प्रदेश	5737	20214	24455	677	4423	0	13864.06
23	पश्चिम बंगाल	n. r.	n. r.	n. r	0	0	0	0
सकल योग		**97047**	**116198**	**115492**	**36981**	**45242**	**439332**	**270324.41**

n. r. – तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) : एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत बालू एक गौण खनिज है। गौण खनिजों के लिए खनिज रियायत देने, विनियमन एवं प्रशासन के लिए सभी नीति एवं कानून एमएमडीआर अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के अधीन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(ग) से (ड.) : दिनांक 04 मई, 2017 को केंद्रीय खान मंत्री एवं राज्यों के खनन मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर विभिन्न राज्यों में बालू खनन की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करने एवं एक व्यापक बालू खनन नीति का सुझाव देने के लिए केंद्रीय खान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। खान मंत्रालय ने राज्यों की उत्कृष्ट कार्यविधियों एवं बालू खनन में सतता, उपलब्धता, सुगमता एवं पारदर्शिता के उद्देश्यों पर आधारित सुझावों को शामिल करते हुए राज्यों के खनन विभागों के साथ परामर्श करके, राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल के रूप में, एक बालू खनन फ्रेमवर्क तैयार किया है।

*****